संख्या–49/2025/002-412-24-1-2025-55-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावरट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 04 जून, 2025**

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर–।। के पारेषण कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या–1874/एफएम/एफ–1/ट्रांस्को/बजट/2025–26/426/2024, दिनांक 02 मई,2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर–।। के पारेषण कार्यों हेतुऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या–09 के लेखाशीर्ष 4801–05–190–12–30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 379,26,00,000/– (रूपये तीन सौ उन्यासी करोड छब्बीस लाख मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त प्रस्तर–1 में उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, 2025 एवं जनवरी, 2026 में धनराशि रूपये 94,81,50,000/– (रूपये चौरांनवे करोड़ इक्यासी लाख पचास हजार मात्र) की चार समान किश्तों में किया जायेगा।

(2) उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वास्तविक आवश्यकता होने पर उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० को पारेषण कार्यों के लिए किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उपयोग की गयी धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रपत्र संख्या–42 जी/शुद्ध पत्र संख्या–426, दिनाक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायगा।

(4) प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(5) उपर्युक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(6) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निर्देशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग/व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निधारित एस0सी0एस0पी/टी0एस0पी0 के मानक व दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। प्रयास यह करें कि ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति/जनजाति को भी लाभ इस योजना से मिले।

(8) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपभोग सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने पर ही शेष धनराशि अवमुक्त किए जाने पर विचार किया जायेगा।

(9) इस संबंध में संबंधित का यह उत्तरदायित्व होगा कि लागत में निर्धारित अंश के अनुसार KfW ऋण (47%) एवं MNRE grant (33%) प्राप्त कर लें। इस हेतु मंत्रालय के साथ यथेष्ट समन्वय एवं नियमित अनुश्रवण अवश्य करना चाहेंगे।

2- इस संबंध मेंहोने वाला व्यय रुपये 3,79,26,00,000 (रुपये तीनअरब उनासी करोड़ छब्बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे**अनुदान संख्या**009 **लेखा शीर्षक**4801051901200 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषणकार्यों हेतु अंशपूंजी**मानक मद**30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्याE-10-16-X-2025-26-दिनांक:2-6-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-49/2025/002-412(1)-24-1-2025-55-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।